भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 94

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>गायब होती कंपनियां</u>

***94. श्रीमती मला पाटले :**

डॉ. कंभमपति हरिबाबू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में गायब होने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान गायब हो रही कंपनियों के धोखाधड़ी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों की संख्या और इन मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों के कंपनी-वार नाम क्या हैं;

(घ) निवेशकों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की कारपोरेट धोखाधड़ी के मामले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन गायब हो रही कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(च) ऐसी कारपोरेट धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इसकी उपलब्धि क्या रही?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (च) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

<u>गायब होती कंपनियां से संबंधित लोक सभा में दिनांक 28.11.2014 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (च) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ग) : वर्तमान वर्ष के दौरान "लुप्त कंपनियों" से संबंधित कोई नया मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, अब तक पहचान की गई लुप्त कंपनियों की राज्य-वार सूची इस विवरण के साथ संलग्न है।

(घ): लुप्त कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी सहित अन्य धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

(i) वर्ष 2006 में मंत्रालय ने धाराएं 266क से 266छ शामिल करते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जिनके द्वारा वर्तमान अथवा संभावित प्रत्येक निदेशक के लिए एक "निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)" प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के विवरण की विस्तृत जांच और एक फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र आदि अपेक्षित है ताकि निदेशकों का पता सुनिश्चित किया जा सके। अत: डिन की अपेक्षा से व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर या गलत बताकर निवेशकों से छल करने के उद्देश्य से संदेहास्पद कंपनियां चलाना कठिन हो गया है;

(ii) किसी नई कंपनी का निगमन अथवा मौजूदा कंपनी के पते में परिवर्तन के मामले में मंत्रालय ने व्यवसायिकों के लिए कंपनी के ब्यौरै सत्यापित करना और उनके परिसरों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करना तथा यह प्रमाणित करना कि कंपनी उस परिसर से कार्य कर रही है, अनिवार्य कर दिया है। ऐसे मामलों में निगमन अथवा पंजीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन के समय पंजीकृत पते का प्रमाण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है;

(iii) कंपनी रजिस्ट्रारों को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ऐसी कंपनी के तुलन पत्र और अन्य रिकार्डों की जांच करें जो पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटा रही है और ऐसी धनराशि के उपयोग की मॉनिटरिंग करें।

(ड.): लुप्त कंपनियों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए उपाय करने हेतु संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक समन्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति है। समिति के निर्देशों के अंतर्गत किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

(1) ऐसी 78 कंपनियों और उनके निदेशकों के विरूद्ध और उनका पता लगाने तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरूद्ध मामले दायर करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई हैं।

(2) इन कंपनियों और इनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 162 और 220 के अंतर्गत सांविधिक रिटर्न दाखिल न करने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत विवरणिका में गलत विवरण देने/धनराशि निवेश करने के लिए छल से उकसाने/प्रस्ताव दस्तावेजों में गलत विवरण देने आदि के लिए अभियोग दायर किए गए हैं।

(च): मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से पूर्व सक्रिय उपाय भी किए हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न शहरों में तीन व्यवसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से किया जाता है। 2012-13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू कर दिया है। 2013-14 के दौरान ऐसे 2897 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

*****

अनुलग्नक

गायब होती कंपनियां से संबंधित लोक सभा में दिनांक 28.11.2014 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गायब होती कंपनियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	लुप्त कंपनी का नाम	राज्य	इश्यू की राशि (करोड़ रू. में)
1.	आशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में आशी फार्माकेम लिमिटेड नाम से जानी जाती थी)	गुजरात	5.52
2.	भावना स्टील कास्ट लिमिटेड	गुजरात	2.10
3.	जेन्युइन कॉमोडिटिस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	गुजरात	2.68
4.	ग्रोथ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात	5.40
5.	केसर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल लिमिटेड	गुजरात	5.69
6.	लयोन्स इंडस्ट्रीयल एस्टेट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (पूर्व में लियोन्स रेंज फाइनेंस लिं. के नाम से जानी जाती थी)	गुजरात	6.37
7.	मानव फार्मा लिमिटेड	गुजरात	5.30
8.	मैरीन कार्गो कंपनी लिमिटेड	गुजरात	3.41
9.	नैचुरो पेस्ट लिमिटेड	गुजरात	4.84
10.	निशु फिनकैप लिमिटेड (पूर्व में मेधा फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	गुजरात	4.25
11.	पुर ओपेल क्रिएशनस लिमिटेड (पूर्व में न्यूलाइन ग्लासवेयर (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	गुजरात	6.78
12.	प्रोटेक सर्किट ब्रेकर्स लिमिटेड	गुजरात	2.00
13.	प्रोटेक स्विचगियर्स लिमिटेड	गुजरात	2.00
14.	श्री याक्स फार्मा एंड कॉस्मेटिक्स लिमिटेड	गुजरात	6.06
15.	स्पिल फाइनेंस लिमिटेड	गुजरात	5.70
16.	सुशील पैकेजिंग्स (इंडिया) लिमिटेड	गुजरात	4.52
17.	टॉपलाइन शूज लिमिटेड	गुजरात	7.80
18.	आदित्य ऐल्कालॉइढ लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	3.55
19.	कैनरा क्रेडिट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	2.49
20.	डैजी सिस्टम्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1.31
21.	आईमैप टैक्नोलॉजिज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1.80
22.	कामक्षी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (वर्तमान में किशा इमपैक्स लिमिटेड नाम से जानी जाती है)	आंध्र प्रदेश	5.71
23.	डेक्कन पैट्रोलियम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	4.57
24.	औरपाइन सिस्टम्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	2.71
25.	छाकड़ी टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड अथवा राइनो टायर्स लिमिटेड (वर्तमान में राम टायर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है)	आंध्र प्रदेश	9.59
26.	सीक्वल सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	-
27.	साइबर मीडिया एंड एंटरटेन्मेंट लिं.	आंध्र प्रदेश	3.50
28.	साइबर सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	3.50
29.	स्वाल कंप्यूटर्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	2.60
30.	विज़ी साइबर टैक लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1.40
31.	अंबुजा जिंक लिमिटेड	बिहार	2.14
32.	बोध गया सरैमिक्स लिमिटेड	बिहार	0.49
33.	सिल्सन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	बिहार	8.00
34.	श्री वैष्णवी प्रिंटिंग एंड डाईंग लिमिटेड	बिहार	3.24
35.	कैयरवेल हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड	चंडीगढ़	2.49

36.	सुखचैन सीमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में गणपति सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	चंडीगढ़	3.65
37.	केडिया इन्फोटेक लिं. (पूर्व में ग्रीव्स होटेल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	दिल्ली	4.98
38.	हौफलैंड इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड (पूर्व में वदरा इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	दिल्ली	2.90
39.	सिमप्लेक्स होल्डिंगस लिमिटेड	दिल्ली	2.27
40.	स्टार इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	दिल्ली	2.47
41.	जेड इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड	दिल्ली	2.80
42.	फ्लोरा वॉल कवरिंगस लिमिटेड	कर्नाटक	5.82
43.	ओषन नीट्स लिमिटेड	कर्नाटक	2.61
44.	हाई-टेक ड्रग्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	3.23
45.	मध्यावर्त एक्सऔइल लिमिटेड	मध्य प्रदेश	2.30
46.	राजाधिराज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड	मध्य प्रदेश	2.50
47.	साउथ एशियन मशरूमस लिमिटेड	मध्य प्रदेश	6.10
48.	स्टरलिंग कौक सैन्ड ब्रिक्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	4.44
49.	कालडिन एयरकॉन लिमिटेड	महाराष्ट्र	4.45
50.	ग्लोबल एक्जिबीशनस लिमिटेड (पूर्व में ग्लोबल नेटवर्क लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	महाराष्ट्र	4.45
51.	हितेश टेक्स्टाईल मिल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	7.48
52.	इछाकलांजी सोया लिमिटेड	महाराष्ट्र	2.00
53.	पशुपति केबल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	11.95
54.	रियलटाइम फिनलीज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र	3.75
55.	रसोडे एंड कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र	0.94
56.	स्पार्कल फूडस लिमिटेड	महाराष्ट्र	5.00
57.	विपुल सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र	3.00
58.	यूनिवर्सल वीटा एलीमेन्टेयर लिमिटेड	उड़ीसा	1.80
59.	हौलमार्क ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (पूर्व में लाइफलाइन ड्रग्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	पंजाब	7.00
60.	ऐमिगो एक्सपोर्टस लिमिटेड	तमिलनाडु	3.30
61.	क्रेस्टवर्ल्ड मेरिन्स लिमिटेड	तमिलनाडु	4.38
62.	माँ कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड	तमिलनाडु	1.44
63.	नागार्जुना जीयो इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड	तमिलनाडु	2.73
64.	पीके वादूवमल फाइनैन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (वर्तमान में नोवेल फाइनेंस (आई) लिमिटेड के नाम से जानी जाती है)	तमिलनाडु	1.50
65.	पैंगो एक्सपोर्टस लिमिटेड	तमिलनाडु	2.47
66.	साई ग्रह फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	तमिलनाडु	4.05
67.	श्याम प्रिंटर्स एंड पबलिशर्स लिमिटेड	तमिलनाडु	2.25
68.	एवीआर सिक्युरिटिज़ लिमिटेड	तमिलनाडु	2.47
69.	ग्लोबल ब्लूम्स इंडिया लिमिटेड	तमिलनाडु	2.10
70.	रिज़वी एक्सपोर्टस लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	3.65
71.	शेफाली पेपर्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	2.57
72.	सिद्धार्थ फार्माकेम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	12.00
73.	विदियानी एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	2.80
74.	एशियन वेजप्रो इन्डस्ट्रीज. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	7.09
75.	कीव फाइनेंस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	12.00
76.	ओरिएन्टल रेमिडीज़ एंड हबर्लस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	1.88
77.	एसएसके फिस्कल सर्विसेज़ लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	2.00
78.	साकेत एक्सट्रूशन्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	2.13
		कुल:	**310.21**

*****